न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 91/2005/223 आर टी ए

जीतसिंह उर्फ जीतराम पुत्र सुन्दरराम जाति चमार निवासी चक 13 एलकेएस (लखासर) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. चन्दोदेवी (विलोपित)
2. दर्शनसिंह पुत्र साधूसिंह जाति चमार निवासी घुदूवाला हाल चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. श्रीमति दीपादेवी पुत्री सुन्दरराम पत्नि जीता जाति चमार निवासी घुदूवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2005 न्यायालय सहायक जिलाधीश पीलीबंगा

प्रकरण संख्या 18/2003 अनवानी जीतसिंह बनाम चन्दोदेवी आदि

उपस्थित :–

श्री जसपालसिंह अधिवक्ता अपीलांट

श्री युगल किशोर अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3

निर्णय दिनांकः–24.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए का पेश किया गया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानो के अनुसार खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के विवाधक सं. 1 का निर्णय वादी के विरूद्ध करके विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम के अन्तर्गत पारित दिनांक 16.03.1989 की डिक्री को आधार मानकर विवाधक सं. 1 का निर्णय वादी के विरूद्ध किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना भू–धारक की सहमति के मध्यस्थ अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को आधार मानकर विधिक भूल की है। प्रतिवादीगण का नाम केवल मात्र विधि विरूद्ध दर्ज होने से उन्हे खातेदार मानकर वादी के कब्जे को प्रतिकूल कब्जा नही मानकर वादी के पक्ष मे निष्पादित दिनांक 14.07.1975 की वसीयत को शून्य मानकर विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम द्वारा पारित डिक्री जिसमे सन्तो का हक व अधिकार केवल मौखिक कथनो के आधार पर परित्याग मानकर मध्यस्थता अधिनियम के अन्तर्गत विधि विरूद्ध डिक्री किया

गया। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित वसीयत को गैर खातेदारी भूमि की वसीयत मानकर विधिक भूल की है। वसीयत के प्रभावशील होने तक सुन्दरराम ने विवादित भूमि की समस्त किश्ते जमा करवा दी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि की वसीयत को बिना जिला कलैक्टर की अनुमति की गई होने से विधिविरूद्ध मानकर विधिक भूल की है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 1993 पेज 204, आरआरडी 2000 पेज 21, आरआरडी 1989 पेज 382, आरआरडी 2002 पेज 656, आरआरडी 1990 पेज 93 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 3 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध मे आपसी राजीनामानुसार बूटासिंह को पंच नियुक्त कर पंच निर्णय प्रस्तुत किया गया था उक्त पंच निर्णय को माननीय जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर ने मुकदमा दीवानी सं. 320/1988 मध्यस्थ अधिनियम 1940 के तहत कृषि सम्पति का विभाजन कर दिया था। इस निर्णय के अनुसार अपीलांट जीतसिंह उर्फ जीताराम को उक्त भूमि मे से 9 बीघा भूमि दी जिस पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय को यथावत रखा रखते हुए अपीलांट/वादी का वादपत्र खारिज किया गया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा घोषणा का अनुतोष चाहते हुए दावा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये यह उल्लेखित करते हुए वाद खारिज कर दिया गया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामानुसार बूटासिंह को पंच नियुक्त कर पंच निर्णय करवाया हुआ है। इस पंच निर्णय को माननीय जिलाधीश श्रीगंगानगर ने मु0 दीवानी सं. 320/1988 मध्यस्थ अधिनियम 1940 के तहत Rule of the Court के अन्तर्गत कृषि सम्पति का विभाजन कर दिया था। इस निर्णय के अनुसार वादी जीतसिंह उर्फ जीताराम को उक्त भूमि मे से 9 बीघा भूमि दी थी जिस पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। प्रतिवादी सं. 1 को उक्त चक की भूमि मे से 2 बीघा व चक 37 जीजी की 2 बीघा तथा 1.15 बीघा, सुंदरराम को 100X50 फुट अहाता का ½ हिस्सा दर्शनसिंह को उक्त भूमि मे से 2 बीघा व चक 37 जीजी मे 2 बीघा व 5.10 बीघा मे से 1/3 भाग, इसी प्रकार जमाबंदी मे अंकित हुए जो उक्त निर्णय की पालना मे हुये जिसे निरस्त नही किया

जा सकता है। उक्त तथाकथित वसीयत अस्तित्व मे थी तो वादी उक्त वसीयत को न्यायालय मे पेश कर सकता था, परन्तु ऐसा नही हुआ। इसलिए कानून वादी विबन्ध के सिद्धांत से बाध्य हो चुका है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का वादपत्र खारिज कर दिया गया। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर कथन किया है कि कृषि भूमि से संबंधित सभी प्रकार के विवादो का निस्तारण करने हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम है। राजस्व न्यायालय कृषि भूमि के प्रकरणो को मध्यस्थ/आरबी ट्रेटर को रेफर नही कर सकते है। भारतीय मध्यस्थता अधिनियम 1940 की धारा 2 के प्रावधान कृषि भूमि पर लागू नही होते है। जबकि हस्तगत प्रकरण मे मध्यस्थ द्वारा जारी पंचाट मे कृषि भूमि के अलावा आवासीय भूखण्ड एवं अन्य सिविल सम्पति भी शामिल है। जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 16.03.1989 के द्वारा पंच द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.10.88 को न्यायालय की व्यवस्था (Rule of the Court) घोषित कर डिक्री प्रदान की गई है जो विवाद के अंतिम निस्तारण की श्रेणी माना जावेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी को आधार मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि पूर्ण होने के कारण हस्तक्षेप किये जाने योग्य नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है।

6. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2005 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0
अपील संख्या – 141/2013/223 आर टी ए

1. औमप्रकाश पुत्र तिलोकाराम जाति जाट निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. हरीसिंह पुत्र तिलोकाराम जाति जाट निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. बृजलाल पुत्र तिलोकाराम जाति जाट निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. श्योचन्द पुत्र तिलोकाराम जाति जाट निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.07.2013 न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़

प्रकरण संख्या 133/2013 अनवानी ओमप्रकाश बनाम हरीसिंह आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलांट, श्री राजेन्द्र भुंवाल अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 3 एवं श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.07.2013 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 06.11.2017 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ